



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/1053

दिनांक:- 12/03/2023

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 07/2023 की बैठक दिनांक 16.03.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-पश्चिम की 06/2022 वीं बैठक दिनांक 02.11.2022 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.03.2023	जोन-4	सूथला	109/8 मीन	02.17.00 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री विष्णुप्रकाश आर पुगलिया लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री अजय पुगलिया पुत्र श्री विष्णुप्रकाश पुगलिया				
विषय:-	राजस्व ग्राम सूथला के खसरा संख्या 109/8 मीन रकबा 02.17.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। 01. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031, मास्टर प्लान-2023 व जोनल डवलपमेंट प्लान में दर्शित सड़क के सहारे नहर बाबत राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट एवम् स्थिति बाबत जोन उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त की जावे। 02. नहर के स्वामित्व की टिप्पणी एवम् संबंधित विभाग से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 03. जोनल डवलपमेंट प्लान में दर्शित वृक्षारोपण पट्टी अंकित करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त करने हेतु निदेशक आयोजना को निर्देशित किया गया।				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.03.2023	जोन-4	चौपासनी	110/4	00.10.00 बीघा	आवासीय एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री जेठाराम परिहार पुत्र श्री कपुराराम जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 110/4 रकबा 00.10.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के खसरा संख्या 110 में से 30 फीट का पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग 40 फीट उपलब्ध होना संभव नहीं है। अतः राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.11.2016 के अनुसार पहुँच मार्ग हेतु 30 फीट मार्गाधिकार की स्वीकृति दी जाती है।				

	3. मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.11.2022 के बिन्दु संख्या 14 की तालिका-11 के कम संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.03.2023	जोन-4	चौखा	762/4	00.10.00 बीघा	व्यवसायिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री अब्दुल सलीम उर्फ मोहम्मद सलीम पुत्र श्री खलीलुर्हमान जी				
विषय:-	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 762/4 रकबा 00.10.00 बीघा में व्यवसायिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर सड़क पर स्थित है अतः उक्त सड़क का मार्गाधिकार 60 मीटर रखे जाने हेतु सड़क मध्य से 30 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावे। 2. मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.11.2022 के बिन्दु संख्या 14 की तालिका-11 के कम संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.03.2023	जोन-4	गंगाणा व पाल	118/1, 118/2, 247/118, 249/118, 248/118, 243/117 व	19905 वर्गमीटर	आवासीय योजना

		ग्राम पाल के खसरा संख्या 05, 9/7	
आवेदक	श्री पप्पु खां, श्री कुशालसिंह, श्री बिलाल खां वगैरहा		
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा व पाल के खसरा संख्या 118/1, 118/2, 247/118, 249/118, 248/118, 243/117 व ग्राम पाल के खसरा संख्या 05, 9/7 रकबा 19905 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।		
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना के भूखण्ड में से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता व भूखण्ड समर्पित करवाये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें।		

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
16.03.2023	जोन-4	गंगाणा	47/3	01.00.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री पुरखाराम पुत्र श्री जोगाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 47/3 रकबा 01.00.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 40 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जा कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।				

(Signature)

	की भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जावें। सडक मार्गाधिकार पश्चात् 30 मीटर गहराई की वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें। 2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू-उपयोग में नॉनपॉल्यूटिंग हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदन किया गया है। अतः आस-पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 9 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नोन-पोल्यूटेड हैण्डिक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


 17/03/2023
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2022/4054-4059 दिनांक:- 17/03/2023

प्रतिलिपि :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

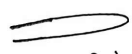
01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-4), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


 17/03/2023
 उप नगर नियोजक (द्वितीय)
 एवं सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2022 वीं बैठक दिनांक 16.03.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन-4) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

17-03-2023



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक - 90-क/जोन-04/2024 /

दिनांक :-

श्रीमती पांची देवी पत्नि श्री जीवराज जी, श्री कुशाल सिंह उर्फ बद्रीराम पुत्र श्री जोराराम, आर्शीवाद डपलपर्स एण्ड प्रोपर्टीज बहैसियत जरिये आममुख्यार नामा पप्पु खां पुत्र श्री स्वर्गीय श्री बरकत खां, श्रीमती हफी पत्नि स्वर्गीय श्री बरकत खां, श्रीमती सुमित्रा बलारा पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह, सुखी देवी पत्नि स्वर्गीय श्री गंगाराम जी , भागीरथ पुत्र स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, जगदीश स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, सुमेर स्वर्गीय श्री गंगाराम जी, एवं अधिकृत जरिये बेचाननामा श्रीमती गौरी चौधरी पत्नि श्री बद्री चौधरी, श्रीमती जमना पत्नि श्री भीयाराम, श्रीमती मन्जू पत्नि श्री बाबूलाल

निवासीगण - जोधपुर।

विषय :- रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी भूमि ग्राम गंगाणा खसरा नं. पुराना खसरा संख्या 118/1 (नया खसरा संख्या 281/118), 118/2, 247/118, पुराना खसरा संख्या 248/118 (नया खसरा संख्या 283/248), 249/118, रकबा 08 बिघा 04 बिस्वा एवं ग्राम पाल खसरा नं. पुराना खसरा संख्या 5 (नया खसरा संख्या 5/1), पुराना खसरा संख्या 9/7 (नया खसरा संख्या 9/8) रकबा 03 बिघा 19 बिस्वा 08 बिस्वांशी की ग्राम गंगाणा एवं पाल का 90-क आदेश दिनांक 20.03.2023 को किया गया, जिसका ले-आउट प्लान प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16.03.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी में आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड संख्या 4 से 11, 42, 44, 45, 73, 77, 78, 97 कुल क्षेत्रफल 1621.42 वर्गगज को रहन रखा जाता है।

उपायुक्त (जोन-04)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid



Digitally signed by Jai Singh Rathore
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2024.07.10 09:35:05 IST
Reason: Approved
8852443